राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1382/2023

सिद्धार्थ मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जेकब रोड़, जयपुर (राज.)।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, एरिया–1, बीकानेर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.05.2023

आदेश की दिनांक : 04.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी.मीणा, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर निलंबन आलोच्य आदेश दिनांक 18.04.2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को बहाल करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के निर्देश फरमाए जावें तथा अपीलार्थी की निरंतर सेवाओं को मानते हुए पूरा वेतन एवं वेतन परिलाभ दिए जाने के आदेश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी आलोच्य आदेश दिनांक 18.04.2023 के द्वारा अपीलार्थी को नियम 1958 के नियम 13 के

तहत निलंबित कर दिया गया और मुख्यालय कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बीकानेर रहने का आदेश किया गया है। अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी और उसे सहायक अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता के पद पर विभाग द्वारा पदोन्नत किया गया। आदेश दिनांक 08.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता के पद पर करौली (टोडाभीम) पदस्थापित किया गया। श्री किरोडी लाल मीणा को अपीलार्थी के स्थान पर आदेश दिनांक 08.01.2023 के द्वारा पदस्थापित किया गया और अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अधिकरण में अपील संख्या 366/2023 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 01.02.2023 के द्वारा अपील खारिज कर दी गई और उक्त आदेश को अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2363/2023 प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश को दिनांक 07.02.2023 के द्वारा स्थगित कर दिया गया और अपीलार्थी को करौली (टोडाभीम) में निरंतर कार्य करने हेतु रखा गया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2023 के द्वारा एक्सईएन के पद का कार्य नहीं दिया गया और किरोडी लाल मीणा को उक्त पद के कार्य का अधिकार दिया गया। अवमानना नोटिस पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2023 को निरस्त कर दिया गया और अपीलार्थी को दिनांक 17.04.2023 से उक्त पद का कार्य सुपुर्द कर दिया गया। परंतु अगले दिन दिनांक 18.04.2023 के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बनाधीन रखा गया। जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध न तो भ्रष्टाचार, धोखाधडी, अनुशासनहीनता जैसे कोई भी आरोप नहीं हैं।

उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा अतिरिक्त उपस्थापक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश प्राप्त नहीं किया और आदेश दिनांक 18.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी को नियत सुनवाई तिथि पर उपस्थित होकर कार्यवाही सम्पादित करने के निर्देश करने के आदेश दिए। परंतु अपीलार्थी ने न तो कोई पत्र भेजा और न ही कार्मिक विभाग से कोई जानकारी प्राप्त हुई। दिनांक 12.12.2022 को अधिशाषी अभियंता सिकराय द्वारा दिनांक 30.12.2022 को उपस्थित रहने का पत्र लिखा गया, जिसके बारे में अपीलार्थी को हर बार सूचित किया गया। जबकि यह स्पष्ट है कि श्री हेमंत कुमार मीणा द्वारा संबंधित अधिकारी से अनुरोध किया गया कि उक्त अनुरोध पर बिना विचार किए जबकि अपीलार्थी को ऐसी कोई सूचना एवं पत्र प्रत्यर्थी विभाग से प्राप्त

नहीं हुआ है। फिर भी आलोच्य आदेश दिनांक 18.04.2023 के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बनाधीन रखा गया। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई चार्जशीट जारी भी नहीं की गई। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई अनुशंषा के क्रम में अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है, जो नियम एवं विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने बहस के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11696/2022 जोधाराम विश्नोई बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.09.2022 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें ऐसे निलम्बन आदेश को उचित नहीं माना है। अपीलार्थी का प्रकरण भी उक्त मामले के आधारों के समान है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर निलंबन आलोच्य आदेश दिनांक 18.04.2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को बहाल करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के निर्देश फरमाए जावें तथा अपीलार्थी की निरंतर सेवाओं को मानते हुए पूरा वेतन एवं वेतन परिलाभ दिए जाने के आदेश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी को सीसीए नियम 13(1)में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा निलम्बन किया गया, निलम्बन की कार्यवाही दण्डित कार्यवाही की श्रेणी में नही आती है। अपीलार्थी का आदेश दिनांक 08.01.2023 के द्वारा अधिशाषि अभियंता के पद पर खण्ड महवा से परियोजना खण्ड करौली पदस्थापन किया गया था। उसके द्वारा पद्वीय कर्तव्यों के समुचित निर्वहन नहीं किये जाने के कारण जॉच द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की अनुशंषा की गई। विभागीय जॉच ने अपील अशा.टीप दिनांक 06.02.2023 द्वारा तत्कालीन सहायक अभियंता महेश चन्द गुप्ता के विरूद्ध सीसीए नियम 14 के तहत अपीलार्थी को अतिरिक्त उपस्थापत अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस दौरान अपीलार्थी को उक्त पद के कर्तव्य पर निर्वहन करना था, परन्तु पीठासीन अधिकारी के समक्ष अनुपस्थित रहे है। जिससे विभागीय जॉच प्रकरण जो कि अभियोजन अभिलेख प्रस्तुत करने के स्तर पर लम्बित था, की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकती। जिससे अनावश्यक विलम्ब अपीलार्थी को सोपे गये उत्तर दायित्व का संपूर्ण निर्वहन नहीं किया जा रहा जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा गंभीरता से लिया गया और

अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की अभिशंषा की गई। जिसके क्रम में अपीलार्थी को निलम्बित किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया है कि आदेश दिनांक 08.01.2023 के द्वारा खण्ड महवा से खण्ड करौली टोडा भीम अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया था। जिसके क्रम में अपीलार्थी ने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया था। आदेश दिनांक 14.01.2023 के द्वारा पुनः जयपुर स्थानान्तरण कर दिया गया और उसी दिन पुनः अधिशाषी अभियंता तकनीकी सहायक जयपुर अपीलार्थी को पदस्थापित किया गया। जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2363/23 प्रस्तुत की। जिसके क्रम में अधिकरण ने आदेश दिनांक 14.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी को करौली टोडा भीम कार्यग्रहण करने का आदेश दिया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.04.2023 के द्वारा नियम 1958 के नियम 13 के तहत निलंबित कर दिया गया। अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी और उसे सहायक अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता के पद पर विभाग द्वारा पदोन्नत किया गया तथा आदेश दिनांक 08.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता के पद पर करौली (टोडाभीम) पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा अतिरिक्त उपस्थापक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और उक्त पद के प्रति कर्तव्यों का सही निर्वहन न किए जाने के कारण अपीलार्थी को निलंबित किए जाने का प्रश्न है, विभागीय जॉच ने अपील अशा.टीप दिनांक 06.02.2023 द्वारा तत्कालीन सहायक अभियंता महेश चन्द गुप्ता के विरूद्ध सीसीए नियम 14 के तहत अपीलार्थी को अतिरिक्त उपस्थापत अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस दौरान अपीलार्थी को उक्त पद के कर्तव्य पर निर्वहन करना था, परन्तु पीठासीन अधिकारी के समक्ष अनुपस्थित रहे, जिससे विभागीय जॉच प्रकरण जो कि अभियोजन अभिलेख प्रस्तुत करने के स्तर पर लम्बित था, की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी, जिससे अनावश्यक विलम्ब अपीलार्थी को सोपे गये उत्तर दायित्व का संपूर्ण निर्वहन नहीं किया गया, जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा गंभीरता से लिया गया और अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की अभिशंषा की गई।

जिसके क्रम में अपीलार्थी को निलम्बित किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग के तर्क से हम सहमत हैं। अतः अपीलार्थी की अपील में कोई बल न होने के कारण खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य